संख्या-413/2017/1830/22-2-2016-17(82)/2014

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 09 जून, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सहदेव पुत्र श्री मलखान सिंह, निवासी-जनपद-मुजफ्फरनगर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34860/प्रोबेशन-3/(एम-06-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सहदेव पुत्र श्री मलखान सिंह, निवासी-फहीमपुर, थाना-सिखेड़ा, जनपद-मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। पूर्व में हुई आनन्द पाल की हत्या को लेकर दोनों पक्षों के मध्य चली आ रही दुश्मनी के कारण बन्दी ने 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 12.01.2000 का सायं लगभग 07:15 बजे देशी पिस्तौल, बन्दूक, रिवाल्वर, डण्डा आदि से मारकर 08 व्यक्तियों की हत्या की तथा 05 अन्य को गम्भीर रूप से घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-344/2000, में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148, 452 तथा धारा-3(1) गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश, ई0सी0एक्ट), मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 18.05.2002 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध बन्दी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में कि0 अपील सं0-1810/2002 योजित की गयी। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25.11.2003 द्वारा मृत्युदण्ड को यथावत रखा गया। मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.04.2004 द्वारा मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी के 06 सहअभियुक्त मा0 न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किये गये तथा 04 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। बन्दी द्वारा दिनांक 25.09.2015 तक 15 वर्ष 08 माह 00 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 01 माह 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण अच्छा है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी पिस्तौल, बन्दूक, रिवाल्वर, डण्डा आदि से मारकर 08 व्यक्तियों की हत्या करने तथा 05 अन्य को गम्भीर रूप से घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सहदेव पुत्र श्री मलखान सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है तथा सक्षम स्तर पर यह पाया गया कि बन्दी के 04 सहअभियुक्त अभी जेल में है तथा प्रोबेशन बोर्ड द्वारा रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। अत: समयपूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी सहदेव (बन्दी संख्या-15692) पुत्र श्री मलखान सिंह निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-413/2017/1830(1)/22-2-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-413/2017/1830/22-2-2016-17(82)/2014

दिनांक 09 जून, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सहदेव पुत्र श्री मलखान सिंह, निवासी-फहीमपुर, थाना-सिखेड़ा, जनपद-मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। पूर्व में हुई आनन्द पाल की हत्या को लेकर दोनों पक्षों के मध्य चली आ रही दुश्मनी के कारण बन्दी ने 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 12.01.2000 का सायं लगभग 07:15 बजे देशी पिस्तौल, बन्दूक, रिवाल्वर, डण्डा आदि से मारकर 08 व्यक्तियों की हत्या की तथा 05 अन्य को गम्भीर रूप से घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-344/2000, में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148, 452 तथा धारा-3(1) गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश, ई0सी0एक्ट), मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 18.05.2002 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध बन्दी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में क्रि0 अपील सं0-1810/2002 योजित की गयी। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25.11.2003 द्वारा मृत्युदण्ड को यथावत रखा गया। मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.04.2004 द्वारा मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी के 06 सहअभियुक्त मा0 न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किये गये तथा 04 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। बन्दी द्वारा दिनांक 25.09.2015 तक 15 वर्ष 08 माह 00 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 01 माह 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण अच्छा है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी पिस्तौल, बन्दूक, रिवाल्वर, डण्डा आदि से मारकर 08 व्यक्तियों की हत्या करने तथा 05 अन्य को गम्भीर रूप से घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सहदेव पुत्र श्री मलखान सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है तथा सक्षम स्तर पर यह पाया गया कि बन्दी के 04 सहअभियुक्त अभी जेल में है तथा प्रोबेशन बोर्ड द्वारा रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। अत: समयपूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in